निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 114/2023
दायरा दिनांकः—19.12.2023
निर्णय दिनांकः— 12.8.24

उनवान

1. सोदरा बाई पत्नि लड्डुलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. धीरप सिंह पुत्र श्यामलाल जाति मीना निवासी ग्राम गोविन्दपुरा
2. नन्द किशोर पुत्र जमनालाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा
3. प्रेमनारायण पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा
4. भोजराज पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा
5. बलराम पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा
6. रामकरण पुत्र जमनालाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 12.8.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री दिनेशचन्द कुशवाह — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजी खाता संख्या 64 खसरा नम्बर 46 रकबा 2.1372 है0 भूमि वाके माल रीछडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में स्थित है। वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से पर काबिज है परन्तु सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी एवं बंटवारा नही होने से वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद विवाद होता रहता है। उक्त वाद विवाद को खत्म करने के लिए उक्त आराजी का बंटवारा अन्यत्र/अत्यन्त आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 23.11.2023 को उत्पन्न हुआ जब वादीया अपने कब्जे की जगह पर हकाई—जुताई कर रही थी तो प्रतिवादी क्रम 3 ने सीमा को लेकर वादीया के साथ गाली—गलोच की एवं अभद्र व्यवहार कर मारपीट पर आमादा हुए। तथा प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय से दिनांक 08.02.2022 को बंटवारा बाबत् डिक्री भी प्राप्त कर रखी है जिसकी वाद संख्या 96/2016 है। रेवेन्यू बोर्ड के नियम 18 से 21 के अनुसार कब्जा अनुसार बंटवारा किया जाना है। राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। विवाद ग्रस्त आराजी ग्राम रीछडा तहसील छबडा में होने से वाद का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

96/2016 है। रेवेन्यू बोर्ड के नियम 18 से 21 के अनुसार कब्जा अनुसार बंटवारा किया जाना है। राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। विवाद ग्रस्त आराजी ग्राम रीछडा तहसील छबडा में होने से वाद का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 22.05.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 64 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम रीछडा पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 सोदरा बाई के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा में स्थित है। वादीया एवं प्रतिवादी अपने-अपने हिस्से पर काबिज है परन्तु बंटवारा नही होने से वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्स विवाद होता रहता है विवाद खत्म करने के लिए उक्त आराजी का बंटवारा अत्यन्त आवश्यक है माननीय न्यायालय से दिनांक 08.02.2022 को बंटवारा डिक्री प्राप्त कर रखी है जिसका वाद संख्या 96/2016 है। विवादित आराजी का नियम 18 से 21 के एवं कब्जा अनुसार बंटवारा किया जाना है वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 64 के अनुसार वादीया का नाम दर्ज रिकार्ड हे जिसमें वादीया का 217/1352 हिस्सा दर्ज है वादीया अपने हिस्से की भूमि का मौके पर हिस्सा एवं कब्जे अनुसार विभाजन कराना चाहती है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन में जवाब व साक्ष्य पेश नही किये वादीया अपने हिस्से का बंटवारा कराना चाहती है। विवादित आराजी का राजस्थान टेनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 अध्याय 4क व नियम 25क में और राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4क व नियम 18 से 21 के एवं कब्जा अनुसार बंटवारा किया जाना है वादीया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 46 रकबा 2.1372 है0 भूमि का नियम 18 से 21 के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए एवं रास्ते की व्यवस्था करतें हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में सं बुरी भूमि का पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 114/23	धारा 53,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:– 12-8-24

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री दिनेशचन्द कुशवाह –वादी	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री

वाद शीर्षक

उनवान

1. सोदरा बाई पत्नि लड्डुलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. धीरप सिंह पुत्र श्यामलाल जाति मीना निवासी ग्राम गोविन्दपुरा
2. नन्द किशोर पुत्र जमनालाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा
3. प्रेमनारायण पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा
4. भोजराज पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा
5. बलराम पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा
6. रामकरण पुत्र जमनालाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 46 रकबा 2.1372 है0 भूमि का नियम 18 से 21 के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए एवं रास्ते की व्यवस्था करतें हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में सं बुरी भूमि का पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 12-8-24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

संख्या 114/2023	धारा अन्तर्गत 53,188 टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 12.08.2024
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:–श्री दिनेशचन्द कुशवाह	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. सोदरा बाई पत्नि लड्डुलाल जाति मीणा निवासी ग्राम वाबडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. धीरपसिंह पुत्र श्यामलाल जाति मीना निवासी ग्राम गोविन्दपुरा
2. नन्द किशोर पुत्र जमनालाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा
3. प्रेमनारायण पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा
4. भोजराज पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा
5. बलराम पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा
6. रामकरण पुत्र जमनालाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:–

विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकवा	लगान	दिशा
1. सोदरा बाई पत्नि लड्डुलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा	46/2	0.3431	–	पश्चिम
	किता 1	0.3431 है0	–	–
2. ऋषभ पुत्र मथुरालाल हिस्सा 4/169 जाति मीणा सा0 गोडियाचारण, नन्दकिशोर पुत्र जमनालाल हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा0 बावडीखेडा रहन हिस्सा बैंक ऑफ बडौदा शाखा छबडा प्रेमनाराण पुत्र हीरालाल हिस्सा 129/676 जाति मीणा सा0 बावडीखेडा रहन SBI शाखा कोटडी बलराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/6 जाति मीणा सा0 बावडीखेडा रहन हिस्सा 1/6 SBI शाखा ADB छबडा भोजराज पुत्र मांगीलाल हिस्सा 105/2704 जाति मीना सा0 बावडीखेडा रहन SBI शाखा ADB छबडा रामकरण पुत्र जमनालाल हिस्सा 1/4 जाति मीना सा0 बावडीखेडा रहन BOB शाखा छबडा रामगोपाल पुत्र रामप्रताप हिस्सा 4/169 जाति मीना सा0 छबडा	46	1.7941	–	पूर्व दिशा
	किता 1	1.7941 है0	–	–

उपरोक्तनुसासर विवादित आराजी पक्षकारान के मध्य संलग्न नक्शानुसार पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जात है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 12.08.2024 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय भेद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		